न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

कैलाशपुरी पिता स्वर्गीय शिवपुरी, जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरपुरी पिता स्वर्गीय मोहनपुरी, जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूपेन्द्रपुरी पिता स्वर्गीय मोहनपुरी, जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती रूकमणी पत्नी स्वर्गीय मोहनपुरी, जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. जगन्नाथपुरी पिता स्वर्गीय शिवपुरी, जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार भूमिधारी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. – 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी दिनांक 19.03.2013 प्र.सं. 119/2010
व पुनरावलोकन प्र.सं. 47/14 दि. 16.06.15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एस.पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 11–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल आराजियात 70 रकबा 14.23 हैक्टर भूमि ग्राम मेतवाला में स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएवं विधिवत विभाजन करवाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 17–10–2011 प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा प्रकरण में वादी की साक्ष्य लेने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23–04–2012 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19–03–2013 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 19–03–2013 जो कि वादी के अभिभाषक की उपस्थिति में जारी की गयी, उसके लिए वादी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01–08–2014 को एक रिव्यू आवेदन पेश किया गया, जिसमें भी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–06–2015 को उक्त रिव्यू आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि निर्णय व डिक्री से असन्तुष्टि थी तो उसे अपील पेश कर सक्षम न्यायालय से अनुतोष हासिल करना था। रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय में अपास्त की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। पक्षकारान अब भी बंटवाड़ा प्रस्ताव में सहमति से अपने–अपने हिस्से में भूमि प्राप्त कर सकते हैं। तीन वर्ष से रिव्यू प्रार्थना पत्र लम्बित है, जो न्यायहित में नहीं है। अतएवं रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 19–03–2013 तथा रिव्यू प्रार्थना के निर्णय दिनांक 16–06–2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–09–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 19–03–2013 को निर्णय व डिक्री जारी की गयी, जिसका मूल आधार तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट को माना गया, जिसके लिए प्रार्थी की ओर से पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रार्थी इस सद्विश्वास में था कि रिव्यू प्रार्थना पत्र अवश्य ही स्वीकार होगा तथा मूल प्रकरण भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया, जिसमें मूल निर्णय व डिक्री की अलग से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी, किन्तु दिनांक 16–06–2015 को प्रकरण राजस्व लोक

अदालत में निर्णित कर दिया गया। बरोज प्रार्थी कैम्प में हाजिर नहीं होने से उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी, जिस पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की एवं तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। अपील वृद्ध व्यक्ति है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अंतिम डिक्री दिनांक 19–03–2013 वादी के अभिभाषक की उपस्थिति में जारी की गयी है तथा अंतिम डिक्री के लिए रिव्यू की सीमा धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत छः माह होती है तथा आदेश 47 नियम 1 जा.दी. के तहत उक्त मयाद एक माह होती है। यदि उक्त मयाद छः माह भी मानी जावे तो वादी/अपीलान्ट द्वारा करीब 1 वर्ष 5 माह बाद रिव्यू आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, जबकि अंतिम डिक्री उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में जारी की गयी है। रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है। जैसाकि आदेश 47 नियम 1 जा.दी. तथा धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्णित है। रिव्यू के लिए वादी/अपीलान्ट द्वारा जो आधार लिये गये हैं, वे अपील आधार हैं। अपीलान्ट द्वारा 60 दिवस में अपील प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि विधि विरूद्ध रिव्यू का आवेदन बेरून मयाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर खारिज किया गया है।

उक्त रिव्यू की पोषणीयता पर अपीलान्ट द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। आश्चर्य जनक रूप से रिव्यू आदेश दिनांक 16–05–2015 की भी मयाद निकल जाने के बाद इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, जो अधिनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 119/2010 जिसमें वर्ष 2013 में निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गयी उसकी अपील वर्ष 2015 में प्रस्तुत की है, जो निसंदेह बेरून मयाद है तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जो रिव्यू का आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह भी बेरून मयाद होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर उसे खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने मयाद के आवेदन में कहीं पर भी यह वर्णित नहीं किया गया है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी कब और किस प्रकार से हुई।

अपीलान्ट द्वारा स्वेच्छा से अपील मयाद में प्रस्तुत नहीं कर अत्यन्त विलम्ब से बिना आधारों के रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो उसकी त्रुटि

को दर्शाता है तथा रिव्यू के आवेदन को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारभूत रूप से विवेचन करते हुए खारिज किया है। तद्नुसार हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपने वाद का अत्यन्त तिरस्कार पूर्वक संचालन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में वाद के मयाद की अपील गुजर जाने के करीब 1½ वर्ष बाद अवैधानिक रूप से उसके द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा कोई अपील नहीं की गयी है तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र भी बेरून मयाद प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट को यह कदापि अनुमत नहीं किया जा सकता कि वह अनाधिकृत व अविधिक रिव्यू प्रस्तुत कर प्रकरण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समय सीमा में लाये, इसे विधि के प्रावधानों का अनावश्यक दोहन ही कहा जायेगा। अपीलान्ट को अपील आधारों के स्थान पर रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करने को अनुमत नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा की गयी अत्यन्त लापरवाही के दृष्टिगत इस प्रकरण को बेरून मयाद पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2013 तथा रिव्यू आवेदन का निर्णय दिनांक 16–06–2015 यथावत रखे जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

कैलाशपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	बनाम	**शंकरपुरी पिता स्व. श्री मोहनपुरी जाति साधु, निवासी मेतवाला, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गढ़ी** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....19**.....माह.....**03**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एस. पी. गोस्वामी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अभिभाषक** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2013 तथा रिव्यू आवेदन का निर्णय दिनांक 16–06–2015 यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।